GENERAL INSTRUCTIONS.

सामान्य निर्देश

आवेदन किस प्रकार देना है

1. आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय से उपलब्ध नहीं होगा। आवेदन–पत्र वेबसाईट से डाउनलोड कर ए–4 साईज के कागज पर प्रिंट किया जा सकता है। आवेदन–पत्र में प्रविष्ठियाँ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से बॉल पेन से भरी जा सकती हैं अथवा टंकित की जा सकती हैं। आवेदन–पत्र पूर्ति के पश्चात् **कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, बी.एम.बिड़ला शोध संस्थान परिसर, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010** के पते पर साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः दिनांक 25.05.2016 को सायं 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुॅच जाना चाहिए। डाक द्वारा भेजने पर कार्यालय में अन्तिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्र ही स्वीकार्य होंगे। अपूर्ण तथा अंतिम दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं होंगे। डाक प्राप्ति में विलम्ब अथवा अन्य कोई असुविधा के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

2. समस्त विषयों के अभ्यर्थियों को संस्कृत भाषा द्वारा अध्यापन, संवाद और चर्चा की दक्षता आवश्यक होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए की वह संबद्ध पद पर नियुक्ति के लिये विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर दिये गये नियमों,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों तथा पद की योग्यता संबंधी मापदण्ड के लिए पात्रता रखता है। यदि ऐसा नहीं पाया गया तो उसकी सेवाओं को उसके कार्यकाल के किसी भी चरण में समाप्त किया जा सकता है।

3. '**कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन**' के नाम का बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट जो **उज्जैन में देय** हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है जिसके पीछे आवेदक का नाम एवम् पता लिखा होना चाहिये। बैंक ड्राफ्ट की राशि शैक्षणिक पदों के लिये **सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु रूपये 500/– तथा अ.जा/अ.ज.जा/विकलांग के लिए रूपये 250/– (अप्रतिदेय) है।**

4. आवेदन–पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाय, उस पर आवेदन–पत्र.....पद का नाम अवश्य लिखा जाये।

5. आवेदन–पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर दिये गये स्थान पर आवेदक के हस्ताक्षर होना चाहिये।

6. आवेदन–पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र (यदि आवेदित पद आरक्षित है तो), आयु प्रमाण–पत्र (हाईस्कूल/हायर सेकण्ड्री अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण–पत्र), समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकसूचियाँ, पूर्व अनुभव के प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी संलग्न किये जा सकते हैं।

7. शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संस्था में कार्यरत् कर्मचारी को अपने नियोक्ता के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ अग्रेषित आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन–पत्र की अग्रिम प्रति समस्त प्रमाणपत्रों के साथ भी भेजी जा सकती हैं।

8. प्रत्येक पद हेतु पृथक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9. प्रमाण–पत्रों,उपाधियों,अंकपत्रों,प्रशंसा पत्रों आदि की स्वयं आवेदक के द्वारा सत्यापित प्रतियॉ आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए और मूल प्रतियॉ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की जाना चाहिए।

10. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के **विज्ञापन क्रमांक/पासंवि/कु.स 14/137 ए दिनांक 28.01.14** एवं विशेष भर्ती अभियान **क्रमांक/पासंवि/कु.स 14/137 बी दिनांक 28.01.14** के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया था उन्हें पुनः आवेदन करना अनिवार्य है अन्यथा उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अपने पूर्व डिमाण्ड ड्राफ्ट की छायाप्रति प्रस्तुत करें।

11. टेस्ट/साक्षात्कार के लिये किराया तथा यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा। केवल अ.जा. एवं अ.ज.जा अभ्यर्थियों को, 30 कि.मी. से अधिक, न्यूनतम दूरी का रेल का द्वितीय श्रेणी का अथवा बस का किराया देय होगा।

12. उज्जैन के बाहर से आने वाले अभ्यर्थी 1 अथवा 2 दिवसों के लिए उज्जैन में ठहरने की अपने स्वयं की व्यवस्था करके आये।

13. पदों की संख्या घटाई एवं बढाई जा सकती है। चयन के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के हैं और विश्वविद्यालय के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी। सभी नियुक्तियॉ विश्वविद्यालय के नियमों से बंधित होगी।

14. किसी भी प्रकार का पक्ष प्रचारित करना अभ्यर्थी की अयोग्यता समझा जायेगा।

15. किसी भी विवाद के लिए क्षेत्र उज्जैन होगा।

नोटः– इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,नई दिल्ली के वेबसाईट का अवलोकन कर सकते है।

शैक्षणिक पदों के लिये सामान्य निर्देश

16. आयु सीमा – सभी आवेदकों की न्यूनतम आयु विज्ञापन के दिनांक को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।

17. न्यूनतम अर्हताऐं – अगले पृष्ठों पर दी गई हैं।

18. वेतनमान –

प्रोफेसर –	` 37400 – 67000 + 10000 एजीपी
एसोसिएट प्रोफेसर –	` 37400 – 67000 + 9000 एजीपी
असिस्टेंट प्रोफेसर –	` 15600 – 39100 + 6000 एजीपी

मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार देय होंगे।

19. प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिये आवेदन–पत्र के बिन्दु क्रमांक 13 में आवेदक द्वारा एपीआई स्कोर की गणना का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि इन पदो के लिये न्यूनतम अर्हताऐं में एपीआई की केटेगरी III में एपीआई स्कोर क्रमशः 400 एवं 300 भी निर्धारित है।

20. प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिये आवेदक को एपीआई स्कोर की गणना एवं समस्त एपीआई के विवरणों की पूर्ति करना आवश्यक है।

आवेदक के द्वारा एपीआई स्कोर की गणना एवं समस्त एपीआई के विवरणों के लिये प्रारुप दिए गए है। **इन प्रारुपों को प्रिंटर से प्रिंट निकालने के पश्चात् भी भरा नहीं जा सकेगा क्योंकि उनमें विवरण की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। अतएव दिये गए प्रारुपों को कम्प्यूटर की सहायता से भरवाया जा सकता है।**

आवेदक द्वारा गणना किये गए एपीआई स्कोर को विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित करने के लिये समस्त प्रलेखों की छायाप्रतियाँ अवश्य संलग्न करें।

21. असिस्टेंट प्रोफेसर पद के आवेदकों को एपीआई स्कोर आवश्यक नहीं है, परन्तु यदि आवेदक चाहे तो केटेगरी III के लिये दिए गए एपीआई के विवरणों के प्रारुपों की पूर्ति कर सकते हैं तथा आवेदन–पत्र के बिन्दु क्रमांक 13 में आवेदक के द्वारा एपीआई स्कोर की गणना का उल्लेख कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों में शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हताएँ

प्रोफेसर

अ.

1. एक प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पीएच.डी में अर्हता अपने संबद्ध/समवर्गी/प्रांसगिक विषय में प्राप्त है,जिनकी प्रकाशित रचना बहुत उत्क्रष्ट कोटि की है,जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रन्थ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम दस रचनाएँ हो– पुस्तकों एवं/अथवा शोध/एवं विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र है।
2. किसी भी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो,अथवा विश्वविद्यालय /राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/उद्योगों में अनुभव हो, जिसमें पीएच.डी स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशा निर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो ।
3. शैक्षिक नवोन्मेष, नूतन पाठ्यक्रम तथा विषयों का विस्तार एवं प्रौद्योगिकी–माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया।
4. शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ) में निर्दिष्ट न्यूनतम प्राप्तांकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस) जो कि इन नियमनों के परिशिष्ट–III में व्यक्त की गई है।

अथवा

ब. एक उत्क्रष्ट व्यावसायिक व्यक्ति,जिसकी अपने सापेक्ष कार्यक्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने संबद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया तथा जिसका प्रमाणिकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाएँ।

एसोसियेट प्रोफेसर

ब.

1. पीएच.डी डिग्री में प्राप्त श्रेष्ठ शैक्षणिक रिकार्ड–जो डिग्री संबद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषयों में प्राप्त की गई हो।
2. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा किसी ''पॉइन्ट स्केल''के अर्न्तगत समस्तरीय ग्रेड हो, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो।)
3. किसी भी विश्वविद्यालय,महाविद्यालय अथवा प्रत्यापित शोध संस्थान/उद्योगों में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अथवा शोध का अनुभव हो जो कि सहायक प्रोफेसर के स्तर के समतुल्य हो तथा जो समस्त अनुभव पीएच.डी के लिये किये गये शोध के अतिरिक्त हो तथा प्रकाशित रचनाओं के साक्ष्य द्वारा समर्थित हो तथा न्यूनतम 5 प्रकाशित रचनाएँ जो पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषयगत नीति से जुड़े प्रपत्रों के साथ समर्थित हो।
4. अभ्यर्थी को शैक्षणिक नवोन्मेषी डिजाइन युक्त नूतन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विषयों एवं उसकी प्रौद्योगिकी–माध्य से युक्त शैक्षिक प्रक्रिया का अनुभव हो तथा इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करें की उसने शोध छात्रों एवं अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया है।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सेवा में रहते हुए अथवा सेवा से पूर्व शोध प्रबंधन/पीएच.डी हेतु शोध कार्य किया है ऐसे अभ्यर्थियों के शोध कार्यो की गणना उनके कार्यानुभव में की जा सकती है।
6. जैसा की इन नियमनों (परिशिष्ट–III) में निर्दिष्ट किया गया है तथा जैसा कि शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ) में निष्पादन आधारित समीक्षात्मक प्रणाली पर इंगित रहता है– इन सब के अनुरूप न्यूनतम प्राप्तांक होने अनिवार्य है।

असिस्टेंट प्रोफेसर

स.

1. किसी भी संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड– जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो– तद्नुसार एक पॉइन्ट स्केल के अर्न्तगत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो – किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो– अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो।
2. उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है–अथवा सी.एस.आइ.आर द्वारा – अथवा इसके समतुल्य परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।
3. उपरोक्त धारा कि उपधारा 1.एवं 2 के अर्न्तगत जो भी व्यक्ति किया गया है– इस सब के बावजूद भी,ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी नियमन–2009 के अनुरूप पीएच.डी डिग्री प्रदान हुई है (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच.डी प्रदान करने के लिए नितांत अनिवार्य है।)– ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तो की अनिवार्यता से छूट मिल जायेगी–ऐसी शर्ते जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है।
4. ऐसे विषय जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट सेट के लिये संचालित नहीं किये जाते है – उनके लिये नेट/स्लेट सेट की अनिवार्यता नही होगी।

विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हताएँ

प्रोफेसर

1. आचार्य/एम.ए संस्कृत एवं शिक्षा आचार्य/एम.एड में प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा किसी एक पांईट स्केल के अर्न्तगत एक समकक्ष ग्रेड–जहॉ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसर किया जा रहा हो।
2. शिक्षा शास्त्र में विद्यावारिधि/पीएच.डी,एवं
3. विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अथवा शिक्षा महाविद्यालयों में न्यूनतम दस वर्षो का अध्यापन का अनुभव हो–जिसमें से न्यूनतम पॉच वर्ष की अवधि शिक्षा आचार्य/ एम.एड स्तर पर प्रकाशित रचना को लेकर–जो कि उस विद्वान् के विशेषज्ञता क्षेत्र में हो–होनी चाहिए।

एसोसियेट प्रोफेसर

1. आचार्य/एम.ए संस्कृत एवं शिक्षा आचार्य/एम.एड में प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा किसी एक पांईट स्केल के अर्न्तगत एक समकक्ष ग्रेड–जहॉ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसर किया जा रहा हो।
2. शिक्षा शास्त्र में विद्यावारिधि/पीएच.डी,एवं
3. विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अथवा शिक्षा महाविद्यालयों में न्यूनतम आठ वर्षो का अध्यापन का अनुभव हो–जिसमें से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि शिक्षा आचार्य/ एम.एड स्तर पर रहे हो एवं उसके द्वारा अपनी विशेषज्ञता के सापेक्ष क्षेत्र में प्रकाशित रचनाऐ हो।

असिस्टेंट प्रोफेसर

1. आचार्य/एम.ए संस्कृत एवं शिक्षा आचार्य/एम.एड में प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा किसी एक पांईट स्केल के अर्न्तगत एक समकक्ष ग्रेड–जहॉ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसर किया जा रहा हो।
2. उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है–अथवा सी.एस.आइ.आर द्वारा – अथवा इसके समतुल्य परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।

3. उपरोक्त धारा कि उपधारा 1.एवं 2 के अर्न्तगत जो भी व्यक्ति किया गया है– इस सब के बावजूद भी,ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी नियमन–2009 के अनुरूप पीएच.डी डिग्री प्रदान हुई है (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच.डी प्रदान करने के लिए नितांत अनिवार्य है।)– ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तो की अनिवार्यता से छूट मिल जायेगी–ऐसी शर्ते जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है।

कुलसचिव